न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास श्री दीपक नन्दी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 19/2021/अपील/एलआरएक्ट/केम्प कोर्ट बूंदी
दायरा दिनांकः 8.1..2021
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

लोडकीलाल आत्मज श्रीकिशन जाति अहीर निवासी ग्राम मूण्डधसा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री कैलाश गुप्ता अभिभाषक–अपीलार्थी
पैरोकार सरकार –रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 11.3.2022

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल संख्या 51/प्रा.पत्र/2011 उनवान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी (राज0) मे पारित निर्णय दिनांक 18.2.2013 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि कृषि भूमि खसरा संख्या 671/701 रकबा 1 बीघा 15 ग्राम मूण्डघसा तह0 हिण्डोली राज0 उपनिवेशन मध्यम एंव लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र मे भूमि आवंटन नियम–1968 के अन्तर्गत अपीलांट को दिनांक 7.6.86 को आवंटित की गई थी। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा भूमि पर कब्जा नही होने के आधार पर उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 19.2.2004 को एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश किया जाकर दिनांक 26.4.2005 को आवंटन के 18 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई कार्यवाही मे आवंटन निरस्त कर दिया। जिसकी अपीलांट को कोई तामील नही हुई तथा नोटिस पर अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर करके एक पक्षीय कार्यवाही करवाई गई। उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 23.5.2011 को होने पर निर्णय की प्रति प्राप्त कर एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश निरस्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई के बाद अपीलांट/प्रार्थी का एक पक्षीय कार्यवाही एंव निर्णय निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र को दिनांक 18.2.2013 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वस्तुस्थिति एंव विधान सर्वथा विपरीत है क्योंकि आवंटन पश्चात भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा सम्पूर्ण आवंटन राशि जमा कराई जा चुकी है। आवंटन मे किसी प्रकार की अनियमितता नही थी ऐसी स्थिति मे आवंटन के 18 वर्ष बाद अपीलांट की अनुपस्थिति मे तैयार की गई अवैध कब्जा रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का भूमि पर कब्जा नही मानते हुये आवंटन खारिज किये जाने मे त्रुटि की है क्योंकि 18 वर्ष पश्चात आवंटन खारिज किये जाने के उक्त वर्णित तथ्य वैधानिक आधार नही है। एक पक्षीय कार्यवाही की जानकारी अपीलांट को नही थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जानकारी की तिथी से धारा 5 विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय विलम्ब क्षमा नही कर वैधानिक त्रुटि की है क्योंकि प्रकरण मे गुणावगुण पर निर्णित किये जाने योग्य बिन्दु नही थे इस कारण विलम्ब अवधि क्षम्य योग्य थी अधीनस्थ न्यायालय ने इस सुस्थापित वैधानिक स्थिति पर गौर नही करके न्यायालय को प्राप्त क्षैत्राधिकार का समुचित उपयोग नही कर अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय नही किया कि आवंटी ने किन आवंटन शर्तो की पालना नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का यह आधार बनाया है कि यदि प्रार्थी को फर्जी तामील करवाई गई थी तो उसकी अलग से कार्यवाही करनी चाहिये थी जबकि तामील की अनियमितता से संबधित प्रश्न संबधित न्यायालय द्वारा ही निर्णित किया जाना होता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलांट का प्रार्थना पत्र बावत एक पक्षीय निरस्ती स्वीकार किया जाकर एक पक्षीय रूप से आवंटन निरस्त किये जाने बावत पारित निर्णय दिनांक 26.4.2005 निरस्त किया जाकर आवंटन बहाल किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राज0 उपनिवेशन मध्यम एंव लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र मे भूमि आवंटन नियम–1968 के अन्तर्गत अपीलांट को दिनांक 7.6.86 को आवंटित की गई थी। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा भूमि पर कब्जा नही होने के आधार पर उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी के यहा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण मे दिनांक 19.2.2004 को एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश कर दिनांक 26.4.2005 को, आवंटन के 18 वर्ष पश्चात, आवंटन निरस्त कर दिया। जिसकी अपीलांट को कोई तामील ही नही हुई तथा नोटिस पर अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर करके एक पक्षीय कार्यवाही की गई। एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु अपी0/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भी बिना किसी विधिक आधार के खारिज कर आवंटन खारिज करने मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। बहस मे यह भी प्रकट किया कि राज0 उपनिवेशन मध्यम एंव लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र मे भूमि आवंटन नियम–1968 के अन्तर्गत आवंटित भूमि के संबध मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रृवणाधिकार अति0 जिला कलक्टर को नही होकर उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त है ऐसी स्थिति मे जेरअपील निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन होने से खारिज योग्य है। अतं मे अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार हिण्डोली द्वारा नियम 17 ए राज0 उपनिवेशन (लघु एंव मध्यम सिंचाई परियोजना) क्षेत्र मे भूमि आवंटन नियम 1968 के तहत अपीलांट को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 671/701 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ग्राम मूण्डघसा दिनांक 7.6.86 निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध दिनांक 19.10.2004 को एक पक्षीय आदेश पारित करते हुये तहसीलदार हिण्डोली की रिपोर्ट दिनांक 6.9.04 के आधार पर आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होने से आवंटन की शर्तो का उल्लधंन होना मानते हुये तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आवंटित भूमि का आवंटन, निर्णय दिनांक 26.4.2005 से निरस्त किया गया। 18 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु अपी0/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भी न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा दिनांक 18.2.2013 को खारिज किये जाने के विरूद्ध अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि तहसीलदार हिण्डोली द्वारा आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत कार्यवाही मे अपीलांट को नोटिस की तामील नही हुई है। अपीलांट को जारी नोटिस पर फर्जी हस्ताक्षर करके एक पक्षीय कार्यवाही करवाई जाकर 18 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त किया गया जबकि भूमि पर आवंटी का लगातार कब्जा काश्त है तथा संपूर्ण आवंटन राशि जमा करादी गई। तहसीलदार हिण्डोली की कब्जा काश्त नही होने की आधारहीन व एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर आवंटन निरस्त किया गया। उक्त एक पक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने बावत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे भी उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का बहस मे यह भी तर्क रहा है कि राज0 उपनिवेशन मध्यम एंव लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र मे भूमि आवंटन नियम–1968 के अन्तर्गत आवंटित भूमि के संबध मे आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रृवणाधिकार न्यायालय अति0 जिला कलक्टर को नही होकर उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त है ऐसी

संभागीय आयुक्त

स्थिति मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलांट की ओर से प्रकरण एंव बहस मे प्रस्तुत उक्त तर्को के संबध मे जेरअपील निर्णय दिनांक 26.4.2005 एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी/अपीलांट के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध दिनांक 19.10.2004 को एक पक्षीय आदेश पारित कर तहसीलदार हिण्डोली की रिपोर्ट दिनांक 6.9.2004 अनुसार आवंटित भूमि पर अप्रार्थी/अपीलांट का कब्जा काश्त नही होने से आवंटन की शर्तो का उल्लधन मानते हुये आवंटन निर्णय दिनांक 26.4.2005 से खारिज किया है तथा अपीलांट द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भी इस आधार पर खारिज कर दिया कि लोडकीलाल की दो गवाह रामलाल व भंवरलाल के समक्ष तामील हुई है तामील नोटिस पर लोडकीलाल व दो गवाहान के हस्ताक्षर है सम्मन मे पेशी 4.8.2004 अंकित है जिसके अनुसार उसके विरूद्ध दिनांक 19.10.2004 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश हुये है। उक्त एक पक्षीय कार्यवाही कर, निर्णय दिनांक 26.4.2005 को किया जाकर आवंटन निरस्त किया गया है। आवंटन निरस्ती की अपील तत्काल सक्षम न्यायालय मे पेश करना चाहिये था या फिर अप्रार्थी की फर्जी तामील करवाई गई थी तो उसकी अलग से भी कार्यवाही करनी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अभिमत से अपीलांट के इस तर्क की पुष्टि होती है कि उक्त आवंटन निरस्तीकरण का निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति मे एक पक्षीय रूप से पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होना प्रकट होता है। विद्वान अति0 जिला कलक्टर बूंदी ने प्रार्थना पत्र मे अपीलांट द्वारा वर्णित किये गये इस तथ्य पर भी गोर नही किया कि अपीलांट की तामील फर्जी तरीके से करवाई गई है या विधि अनुरूप हुई है, जबकि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह स्पष्ट अंकित किया गया था नोटिस पर उसकी तामील नही है बल्कि फर्जी तरीके से करवाई गई तामील के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही कर आवंटन निरस्त किया गया है ऐसी स्थिति मे सहज न्याय के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालय को उक्त तथ्यो पर गौर कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो की जांच करते हुये प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना न्यायोचित था अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय 18.2.2013 मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है। केवल सरसरी तौर पर अवलोकन कर निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। जहां तक उक्त आवंटन के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय अति0 जिला कलक्टर को नही होकर उपखण्ड अधिकारी होने का अपीलांट का बहस के दौरान कथन रहा है किन्तु अपीलांट ओर से उक्त विधिक तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रा0 पत्र एंव इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मिमो मे वर्णित नही किया है ना ही कोई अनुतोष चाहा है फिर भी उक्त तथ्य का विधिक प्रावधानो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के संबध मे अपना स्पष्ट अभिमत प्रकट किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय के प्रार्थना पत्र बावत एक पक्षीय कार्यवाही निरस्ती आदेश 18.2.2013 एंव प्रार्थना पत्र 62/04 सरकार जरिये तहसीलाद हिण्डोली बनाम लोडकीलाल मे पारित निर्णय दिनांक 26.4.2005 को न्यायोचित नही पाते है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण सं0 51/प्रा0पत्र/2011 एंव प्रा0 पत्र 62/प्रा0पत्र/04 सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली बनाम लोडकीलाल मे पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 18.2.2013 एंव दिनांक 26.4.2005 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है राज0 उपनिवेशन मध्यम एंव लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र मे भूमि आवंटन नियम–1968 के अन्तर्गत आवंटित भूमि के आवंटन आदेश के निरस्तीकरण संबधी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुनवाई के क्षेत्राधिकार के संबध मे विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे अपना स्पष्ट अभिमत प्रकट करते हुये तदानुसार उक्त वर्णित आराजी के आवंटन एंव आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना तथा मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट को सुनवाई एंव पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।।

6 निर्णय आज दिनांक 11.3.2022 को केम्प कोर्ट बूंदी मे मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(दीपक नन्दी)
संभागीय आयुक्त
कोटा